विविध

निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 28 / 2024
दायरा दिनांकः–09.07.2024
निर्णय दिनांकः– 21.5.25

उनवान

1. जेबुन्नीसा बी आयु 68 वर्ष पत्नि मतीउल्ला जाति मुसलमान निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 21.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री सोमेश गालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाले माल छबडा पटवार मण्डल छबडा तहसील छबडा की अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी सम्वत् 2079 (वर्ष 2023) से स्थाई जमाबन्दी में खाता संख्या 144 में खसरा नम्बर 484 रकबा 1.7705 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड जमबान्दी है। जो प्रार्थीया के तनहा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। जिस पर प्रार्थीया निर्बाध रूप में काश्त करती चली आ रही है। मद नम्बर 1 वर्णित खसरा नम्बर 848 एवं खसरा नम्बर 848/1 दोनो नम्बर एक ही नम्बर के विभाजन है प्रार्थीया के खसरा नम्बर 848 उत्तरी दिशा की ओर है। एवं खसरा नम्बर 848/1 दक्षिणी दिशा की ओर स्थित है। जिन पर दोनो खातेदार अपने–अपने नम्बरान पर काबिज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त करतें चले आ रहे है। मद नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीया के खसरा नम्बर 848 एवं खसरा नम्बर 848/1 की राजस्व रिकार्ड आर्नलाईन नक्शा तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों से सहवन से प्रार्थीया के खसरा नम्बर 848 पूर्वी दिशा की ओर एंव खसरा नम्बर 848/1 पश्चिमी दिशा की ओर तरमीम हो गई है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। मद नम्बर 1 में वर्णित खसरा नम्बर 848 एवं खसरा नम्बर 848/1 की गलत जगह तरमीम होने के कारण भविष्य में प्रार्थीया को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। इस कारण उक्त नम्बरान की ऑनलाईन राजस्व नक्शा में सही जगह तरमीम किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी वाके माल छबडा तहसील छबडा में होने से प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 20734–77 खाता संख्या 144 नक्शा ट्रेस ग्राम छबडा पेश किया गया। फोटो प्रति आधार कार्ड नक्शा ट्रेस पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीया के तनहा खातेदारी की है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है खसरा नम्बर 848 व खसरा नम्बर 848/1 दोनो खातेदारी अपनी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। राजस्व रिकार्ड ऑन लाईन तरमीम करते वक्त खसरा नम्बर 848 पूर्वी दिशा की ओर एवं खसरा नम्बर 848/1 पश्चिम दिशा की ओर तरमीम हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है प्रार्थीया की भूमि की गलत तरमीम होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा। ऑन लाईन राजस्व नक्शा सही तरमीम किया जावे विवादित भूमि का नक्शा मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट लद गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि वादिया द्वारा खसरा नम्बर 848 रकबा 1.7705 है0 भूमि की तरमीम सही करवाने हेतु वाद दायर किया गया है वर्तमान में राजस्व नक्शे में प्रार्थीया की भूमि तरमीम पूर्वी दिशा व अन्य खातेदार की भूमि पश्चिमी दिशा की तरफ हो रही है मौके पर प्रार्थीया द्वारा उत्तरी दिशा की तरफ एवं अन्य खातेदार दक्षिण दिशा की तरफ अपनी–अपनी भूमि की फसल काश्त कर रहे है DILMPR में सहवन से प्रार्थीया की भूमि गलत तरमीम हो गयी होना बताया है

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 144 जेबुन्नीसा की पत्नि मतीउल्ला के नाम दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस कस्बा छबडा अनुसार खसरा नम्बर 848 पूर्वी दिशा एवं खसरा नम्बर 848/1 पश्खिमी दिशा की तरफ है। जबकि तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में प्रार्थीया का कब्जा उत्तरी तरफ एवं अन्य खातेदार का कब्जा दक्षिणी तरफ है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 848/1 कें खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। और ना ही तहसीलदार रिपोर्ट में यह बताया है कि तरमीम कैसे होनी चाहियें अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नही होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा